राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

कमांक प.12(1)चि.स्वा./ग्रुप–2/2019/आर–2139 जयपुर, दिनांक : 01.05.2019

आ दे श

डा. रवि काबरा, चिकित्सा अधिकारी हॉल पीजी अध्ययनरत सवाई मानसिह चिकित्सालय, जयपुर को मुकदमा संख्या 55/19 धारा 498 ए, 406, 354 आईपीसी के अन्तर्गत पंजीबद्ध करवाये जाने के बाद अनुसंधान जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर डा. काबरा को दिनांक 16.04.2019 को गिरफ्तार किया जाकर दिनांक 24.04.2019 तक पीसी रिमाण्ड (पुलिस हिरासत में) रहने के उपरान्त दिनांक 24.04.2019 को मा. न्यायालय के आदेशों की पालना में न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

अतः राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम–1958 के नियम–13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार डा. रवि काबरा, चिकित्सा अधिकारी को गिरफ्तार किये जाने की दिनांक 16.04.2019 से निलम्बित माने जाने के (Deemed to have been Suspended) के एतद द्वारा आदेश प्रदान करती है।

पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा से रिहा होने के पश्चात डा. रवि काबरा का निलम्बन काल के दौरान मुख्यालय निदेशक, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जयपुर के कार्यालय में रहेगा। डा. काबरा को नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय ।
2– विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय।
3– निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ।
4– निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया उक्त आदेशों की पुष्टि कराने की कृपा करावें।
5– प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6– निदेशक, जनस्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपस्थिति पंजिका में डा. काबरा की उपस्थिति दर्ज करावें एवं डा काबरा के विरूद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्रानुसार आरोप पत्रादि इस विभाग को अविलम्ब भिजवाने की व्यवस्था करावें।
7– डा. रवि काबरा, चिकित्सा अधिकारी हॉल पीजी अध्ययनरत सवाई मानसिह चिकित्सालय, जयपुर द्वारा निदेशक जन स्वास्थ्य के माध्यम से
8– कम्प्यूटर सेल
9– निजी /रक्षित पत्रावली

शासन सहायक सचिव